तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/20	वादीगण द्वारा 152 CPC अंतर्गत प्रार्थना-पत्र 27-11-19 को पेश किया गया था। इस दावे का निस्तारण न्यायालय श्रीमान सहायक जिला वीश एवं अखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.4.19 को किया गया था। निर्णय में वादीगण का दावा मय राजीनामा के स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया था। प्रार्थना-पत्र अनुसार डिक्री के निर्णय के पेरा संख्या 5 में भूलवश 'रुकया' के स्थान पर 'नैनी' छप गया है। प्रार्थना-पत्र एवं डीक्री का अवलोकन किया गया। डिक्री पेरा संख्या 5 में लिखा है 'वादी स. 4/1 से 4/5 नैनी के वारीसान' संशोधित वाद शीर्षक का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादी स. 4 रुकिया पुत्री दिने खाँ पत्नी रफीक खाँ है न कि श्रीमती नैनी। अत: प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। यह भूल लिपिकीय भूल है तथा इस आकस्मिक भूल की शुद्धी हेतु आदेश दिया जाता है। अत: जिलावीश एवं अखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.4.19 की डिक्री की पेरा संख्या 5 में 'वादी स. 4/1 से 4/5 नैनी के वारिसान' की जगह 'वादी संख्या 4/1 से 4/5 रुकिया के वारिसान'	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पढ़ा जावे।

Scanned by CamScanner